"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मार्च 2013—फाल्गुन 27, शक 1934

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-25/2006/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा तथा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, जिसका दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 9 के कॉलम (5) में, अंक "3500-5200" के स्थान पर अंक "4000-6000" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक एफ 4-25/2006/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-3-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 14th March 2013

NOTIFICATION

No. F 4-25/2006/32.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Town and Country Planning Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service and Recruitment Rules, 2008, with retrospective effect from 1st April, 2006, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

In column (5) of serial number 9 of Schedule-I, for the figures "3500-5200" the figures "4000-6000" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALEX PAUL MENON, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.